

हरियाणा सरकार  
विकास तथा पंचायत विभाग  
अधिसूचना  
दिनांक 12 मार्च, 2015

संख्या का0आ0 6/ह0अ011/1994/धा0 8 व 7/2015-हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का हरियाणा अधिनियम 11), की धारा 8 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 7 की उपधारा (1) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, ग्राम पंचायत कसेरला कलां, खण्ड बराड़ा, जिला अम्बाला के सभा क्षेत्र से गांव कसेरला खुर्द के क्षेत्र को निकालते हैं तथा नीचे दी गई अनुसूची के खाना 3 में इस प्रकार निकाले गए तथा विनिर्दिष्ट क्षेत्र को सभा क्षेत्र के रूप में घोषित करते हैं तथा उक्त अनुसूची के क्रमशः खाना 1 तथा 2 में यथावर्णित खण्ड तथा जिले में उक्त सभा क्षेत्र के लिये उक्त अनुसूची के खाना 4 में यथावर्णित कसेरला खुर्द के नाम से ग्राम पंचायत स्थापित करते हैं, अर्थात् :-

अनुसूची

खण्ड का नाम	जिला	गांव/सभा क्षेत्र का नाम	ग्राम पंचायत का नाम
1	2	3	4
बराड़ा	अम्बाला	कसेरला खुर्द (हदबस्त संख्या 245)	कसेरला खुर्द

तथापि, यह अधिसूचना पंचायती राज संस्थाओं के आगामी आम चुनावों के समय पर प्रभावी होगी।

नवराज सन्धु,  
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,  
विकास तथा पंचायत विभाग।

[Authorized English Translation]

HARYANA GOVERNMENT  
DEVELOPMENT AND PANCHAYATS DEPARTMENT

Notification

The 12th March, 2015

No. S.O. 6/H A11/1994/S 8 & 7/2015.—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 7 read with sub-section (1) of section 8 of the Haryana Panchayati Raj Act, 1994 (Haryana Act 11 of 1994), the Governor of Haryana hereby excludes the area of village Kasairla Khurd from the sabha area of Gram Panchayat Kasairla Kalan, block Barara, district Ambala and declares the area so excluded and specified in column 3 of the Schedule given below to be sabha area and establishes Gram Panchayat by the name of Kasairla khurd as mentioned in column 4 of the said Schedule for the said sabha area in block and district as mentioned in column 1 and 2 respectively of the said Schedule, namely:—

Schedule

Name of Block	District	Name of Village/ Sabha Area	Name of Gram Panchayat
1	2	3	4
Barara.	Ambala	Kasairla Khurd (Hadbast Number 245)	Kasairla Khurd

However, this notification shall be effective at the time of next general elections of Panchayati Raj Institutions.

NAVRAJ SANDHU,  
Additional Chief Secretary to Government Haryana,  
Development and Panchayats Department.